

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन-III, भोपाल-462004

क्रमांक | २१० / ११८६ / २०१८ / २०-२

भोपाल, दिनांक २३/०९/२०१९

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर्स म.प्र।
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत म.प्र।
3. समस्त आयुक्त, नगर पालिक निगम, म.प्र।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र।
6. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र।
7. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी/नगर परिषद, म.प्र।

विषय:-शिक्षकों को पूर्णकालिक रूप से अन्य कार्यों में लगाये जाने की स्थिति में वेतन आहरण पर रोक लगाये जाने विषयक।

संदर्भ:-कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का पत्र क. ३९/०३/२०१७/८३२४ दिनांक ०६.०९.२०१६।

विषयांतर्गत कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करना चाहेंगे जिसके द्वारा समस्त कलेक्टर्स एवं जिला निर्वाचन अधिकारी म.प्र. को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. द्वारा, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश दिनांक ०५.०९.२०१६ का हवाला देते हुये निर्देशित किया गया है कि चूंकि शिक्षण कार्य में लगे शिक्षकों को फोटो निर्वाचक नामावली का कार्य कार्यालय समय से पूर्व तथा कार्यालय समय के पश्चात एवं अवकाश के दिनों में करने के निर्देश दिये हैं, अतः शिक्षण कार्य में लगे शिक्षकों को जिन्हे बूथ लेवल अधिकारी नियुक्त किया गया है, उन्हे शैक्षणिक स्थान पर ही बीएलओ नियुक्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए। यदि स्थानीय स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/पंचायत सचिव/रोजगार सहायक/आदि कर्मचारी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हैं तो उन्हें भी बूथ लेवल अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। अतएव आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों का पूर्णतया पालन सुनिश्चित किया जाए।

2/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक ०५.०९.२०१६ को जारी उपर्युक्त निर्देश मान उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जनहित याचिका क्रमांक ३६४४९/२०१६ (उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ एवं अन्य) विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक ०८.०८.२०१६ के आधार पर जारी किये गए हैं। मान उच्च न्यायालय का निर्णय मान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत निर्वाचन आयोग विरुद्ध सेन्ट मेरी स्कूल व अन्य (२००८) २ एससीसी ३९० में पारित निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है, "जिसका ऑपरेटिव पैरा निम्नानुसार है:-

"..... 33. We would, however, notice that the Election Commission before us also categorically stated that as far as possible teachers would be put on electoral roll revision works on holidays, non-teaching days and non-teaching hours; whereas non-teaching staff be put on duty any time. We, therefore, direct that all teaching staff shall be put on the

duties of roll revisions and election works on holidays and non-teaching days. Teachers should not ordinarily be put on duty on teaching days and within teaching hours, non-teaching staff, however, may be put on such duties on any day or at any time, if permissible in law."

3/ उल्लेखनीय है कि मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर में दायर याचिका डब्ल्युपी क्रमांक 3677/2017 (राजपत्रित प्राधानाध्यापक प्रादेशिक संघ समिति विरुद्ध यूनियन आफ इंडिया व अन्य) में दिनांक 20.03.2018 को पारित निर्णय में शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में संलग्न करने से प्रतिबंधित किया गया है।

4/ उपर्युक्त निर्देशों के बावजूद भी शिक्षकों को निर्वाचन संबंधी व अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों में पूर्णकालिक रूप से लगाया गया है जो कि अत्यंत आपत्तिजनक है। यह भी आपत्तिजनक है कि शिक्षकों को पूर्णकालिक रूप से गैर शैक्षणिक कार्यों में कलेक्टर कार्यालय के अधीनस्थ अधिकारियों, सब-डिविजनल/राजस्व अधिकारियों द्वारा आदेश जारी कर संलग्न किया जा रहा है।

5/ उपर्युक्त कण्डिकाओं में वर्णित वस्तुरिथि के दृष्टिगत निम्नलिखित अनुसार निर्देशित किया जाता है:-

- (i) किसी भी शिक्षक को पूर्णकालिक रूप से गैर शैक्षणिक कार्य में बगैर म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग की अनुमति के पूर्णकालिक रूप से संबद्ध न किया जाए। यदि शिक्षकों को मूल्यांकन अथवा विभागीय कार्यालयों में भी पूर्णकालिक रूप से कार्य लिया जा रहा है तो यह भी निर्देशों के विपरीत माना जाएगा।
- (ii) उपर्युक्त कण्डिका (i) निर्देशों के विपरीत उपरोक्तानुसार पूर्णकालिक रूप से शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में संलग्न किये जाने की स्थिति में संचालनालय लोक शिक्षण की अनुमति के बगैर उन्हें कार्यमुक्त न किया जाए।
- (iii) ऐसे समस्त शिक्षक जो पूर्णकालिक रूप से उपर्युक्तानुसार गैर शैक्षणिक कार्य में संलग्न हैं उनका वेतन भुगतान तत्काल प्रभाव से रोका जाए तथा उनकी शाला में उपस्थिति के पश्चात ही उन्हें वेतन भुगतान किया जा सकेगा तथा किसी भी शिक्षक को उपर्युक्तानुसार पूर्णकालिक रूप से शाला से कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा।

इन निर्देशों की अवहेलना की स्थिति में न केवल संबंधित शाला के प्राचार्य एवं संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा बल्कि गैर विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार उनके संबंधित विभाग को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरोध किया जाएगा।


(रश्मि अरुण शर्मी)

प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री म.प्र. शासन भोपाल।
2. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभा, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. आयुक्त, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. आयुक्त, राजस्व समस्त संभाग मध्यप्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल मध्यप्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, राज्य सूचना केन्द्र विध्याचल भवन भोपाल।
9. श्री सुनील जैन, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक NIC, विध्याचल भवन भोपाल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग